

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-232230, E-mail- dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2017-18/9399
निमित्त:-

दिनांक: 29.06.18

अधिशाली अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड अकलेरा तहसील अकलेरा,
जिला झालावाड़।

विषय:- Construction of Badodiya to Jatamari under RRSMP (PHASE-II) in Dist. Jhalawar के वनभूमि प्रत्यावर्तन संबंधित सैद्धान्तिक स्वीकृति के पालना के संबंध में।

प्रसंग:- राज्य सरकार का पत्रांक प. 1 (52) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7757/2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 3989 दिनांक 22.04.2015, 7525 दिनांक 10.07.2015, 9960 दिनांक 31.08.2015, 11707 दिनांक 16.10.2015, 14207 दिनांक 08.12.2015, 1058 दिनांक 20.01.2016, 4633 दिनांक 29.02.2016, 8749 दिनांक 21.05.2016, 11566 दिनांक 15.07.2016 एवं 13114 दिनांक 31.08.2016 एवं 14794 दिनांक 20.10.2016 से बिन्दु संख्या 7, 8, 9 की राशि रू0 123.09 लाख एवं पत्रांक 5867 दिनांक 23.03.2017 से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की अन्तर राशि 387639 रु जमा कराकर शेष बिन्दुओं की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया था। आप द्वारा अभी तक मांग पत्र अनुसार राशि जमा नहीं कराकर बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः प्रकरण में मांग पत्र अनुसार समस्त राशि केम्पा फण्ड में जमा कराकर बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे, ताकि प्रकरण की पालना रिपोर्ट उच्च कार्यालय को भिजवाई जा सके।

भवदीय,



(रामचन्द्र सिंह ओगरा)

उप वन संरक्षक

झालावाड़

दिनांक:

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2017-18/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफसीए राज. जयपुर।
2. सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, असनावर को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में सक्षम स्वीकृति के बिना वनक्षेत्र में कोई गैरवानिकी कार्य नहीं होने पावे।

उप वन संरक्षक
झालावाड़